आरोपी आयुक्त खुद ही दे रहे फर्नीचर घोटाले की जांच के आदेश!

जवाब के लिये 30 दिन की थी मियाद, 34 दिन बाद बनी पहली कमेटी

उदयपुर, (कासं)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टीएडी) में फर्नीचर घोटाला का मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया। बावजूद इसके आयुक्त कार्यालय गंभीर नहीं दिख रहा। हैरानी की बात यह है कि जिस आयुक्त के अधीन सिर्फ जनजाति विभाग और उसके अन्तर्गत संचालित संस्थाओं के कार्मिक ही आते हैं, उन्होंने जांच कमेटी में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर संभागीय आयुक्त कार्यालय व आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को भी जांच कमेटी में शामिल कर लिया।

सूत्रों के अनुसार इससे पहले जांच हेतु बनाई गई कमेटी में अधीनस्थ कर्मचारियों की कमेटी नियम विरुद्ध बनाई गई। जिसमें आरोपी अधिकारियों को ही शामिल कर लिया गया क्योंकि आयुक्त और स्वच्छ परियोजना के पदेन अध्यक्ष के रहते खुद मामले में आयुक्त राजेंद्र भट्ट, अतिरिक्त आयुक्त वृद्धि चंद गर्ग, वित्तीय सलाहकार समेत क्रय समिति में शामिल जनजाति आयुक्त कार्यालय के अन्य कार्मिक मामले मे आरोपी हैं। ऐसे में लोकायुक्त के निर्देशानुसार आयुक्त के ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जा सकती हैं। नियमों की अवेहलना का प्रमाण यह भी है कि प्रमुख शासन सचिव ने जनजाति आयुक्त को ही जांच के लिए प्रकरण भेज दिया। यानी खुद आरोपी अधिकारियों को इस मामले में जांच को अंजाम देना हैं। जांच के दौरान जवाब के लिए गठित विभागीय कमेटी में नियम कायदे ताक पर रख दिए गए।

- आरोपी अधीनस्थ कर्मचारियों को शामिल करने का मामला सामने आने के बाद 53 दिन बाद बनाई दूसरी कमेटी
- दूसरी कमेटी में क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर संभागीय आयुक्त कार्यालय और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी को किया शामिल
- बिना अधिकार के जनजाति आयुक्त ने संभाग के अधिकारियों को कैसे दिए जांच के निर्देश

दरअसल, लोकायुक्त सचिवालय द्वारा 20 जुलाई को जारी आदेश में यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि परिवाद में आरोपित/ वर्णित अधिकारी से जांच ना करवाकर उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी से जांच करवाकर लोकायुक्त सचिवालय को तथ्यात्मक प्रतिवेदन 30 दिन में भेजने के आदेश दिए। ऐसे में 30 दिन में जवाब देने की मियाद को ताक पर रखकर जवाब देने के लिए कमेटी आयुक्त द्वारा 34 दिन बाद गठित की गई।

पहली बार जांच कमेटी में अधीनस्थ कार्मिकों को जांच कमेटी में शामिल करने का मामला प्रकाश मे आने पर जनजाति आयुक्त द्वारा लगभग 53 दिन बाद दूसरी जांच कमेटी का गठन किया गया। जिसमें जनजाति विभाग से बाहर संभागीय आयुक्त कार्यालय व आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्मिकों को शामिल किया गया। तथ्यात्मक रूप से संभागीय आयुक्त और जनजाति विभाग के आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ही हैं।

लेकिन जनजाति आयुक्त कार्यालय की ओर से यानी बतौर जनजाति आयुक्त भट्ट के पास जांच कमेटी में संभागीय अधिकारियों या अन्य कार्यालय के कार्मिक को शामिल करने का अधिकार नहीं हैं। बतौर संभागीय आयुक्त वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आदेश जनजाति आयुक्त कार्यालय से जारी होने के चलते उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

फूड लाइसेंस शिविर में अधिकारियों के सामने ही लोगों से हुई अवैध वसूली

निर्धारित फीस 500 की बजाय खुलेआम 800 रुपए की वसूली एक प्राइवेट आदमी से शिविर में ही करवाई गई

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर में फूड लाइसेंस शिविरों को जिम्मेदारों ने काली कमाई का जरिया बना दिया है। हालात ये हैं कि शिविर में सरकार के अधिकारियों के सामने ही लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। राज्य सरकार ने छोटे व मध्यम व्यापारियों को राहत देने के लिए जगह- जगह फूड लाइसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।

जिस समय शिविर में व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही थी उस समय सीएमएचओ कार्यालय धौलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार शिविर में मौजूद थे। मजेदार बात ये है कि जब लोगों ने अवैध वसूली को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब किए तो वाकायदा व्यापारियों को 300-300 रुपए वापस किए।

मामला ये है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय धौलपुर की ओर से मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीखेड़ा में फूड लाइसेंस के लिए शिविर लगाया गया। जिसमें लाइसेंस बनवाने के लिए आए लोगों से निर्धारित फीस 500 रुपए की बजाय खुलेआम 800 रुपए की वसूली एक प्राइवेट आदमी से शिविर में ही करवाई गई। जिसकी

- लोगों ने अवैध वसूली को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब किए तो वाकायदा व्यापारियों को 300-300 रुपए वापस किए

बाकायदा एक कागज पर एंट्री भी की गई। अब देखना ये है कि चिकित्सा विभाग के एवं जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। अवैध वसूली के इस खेल को लेकर धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा से भी बातचीत करने की कोशिश की गई।

लेकिन उनके मोबाइल पर इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध होना नहीं पाया। वहीं इस मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर का कहना है कि पूरे मामले को लेकर शिविर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके बाद कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में जिन लोगों ने अवैध वसूली की वह लोग कौन थे, इसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी जाएगी।

परमवीर मेजर शैतानसिंह की प्रतिमा खंडित की

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजपूत समाज ने पावटा चौराहे पर धरना दिया।

जोधपुर, (कासं)। जिले के फलोदी क्षेत्र में आमला गांव में रामदेव नगर में स्थित परमवीर मेजर शैतानसिंह की प्रतिमा को रविवार रात में असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था। जिस पर फलोदी में विवाद होने के साथ जोधपुर शहर में पावटा चौराहा पर मेजर शैतानसिंह की प्रतिमा की आगे राजपूत समाज ने धरना शुरू किया है। समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है।

बता दें कि रविवार को फलोदी में मेजर शैतानसिंह के गांव आमला में रामदेव नगर में उनकी प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया था। इस पर फलोदी में बवाल भी हुआ और जिला एसपी को सात दिन का अल्टीमेटम आरोपियों को गिरफ्तार करने का समाज की तरफ से दिया गया। इधर आज जोधपुर शहर में दोपहर में पावटा चौराहा पर मेजर शैतानसिंह की प्रतिमा के आगे राजपूत समाज के लोगों ने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन से की।

दो हजार में आंसर की खरीदी

जोधपुर, (कासं)। शहर में आयोजित हुई रेलवे भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को पर्ची से नकल करते पकडा गया। पूछताछ में सामने आया कि उसे परीक्षा केंद्र के बाहर ही अज्ञात शख्स ने आंसर की पर्ची थी, बदले में दो हजार रुपए लिए। परीक्षा में जब वह ऑनलाइन परीक्षा दे रहा था तब पर्ची से नकल मारते पकडा गया। उसे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। घटना में अब अज्ञात शख्स का पता लगाया जा रहा है। थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा का आयोजन होरिजन टेक्निालॉजी परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन हुआ था। तब वहां तैनात वीक्षक कैलाश परिहार ने एक अभ्यर्थी को पर्ची से नकल मारते पकडा। इस पर बाद में आरोपी हरियाणा के हिसार स्थित अकबरवास निवासी राकेश पुत्र रामफल को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि उसे परीक्षा केंद्र के बाहर एक शख्स मिला था। जिसने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की आंसर-की दी थी। बदले में दो हजार उसके पास थे जोकि उसे दिए गए। परीक्षा पास होने के बाद और रूपए देने की बात की। इस बारे में अभ्यर्थी के खिलाफ राजस्थान परीक्षा अधिनियम में केस दर्ज कर लिया गया।

उप पंजीयक कार्यालय का बाबू 11 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

पुलिस थाने में गिरफ्तार उप पंजीयक कार्यालय का बाबू।

निवाई, (निसं)। उप पंजीयक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक कमलेश मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक टोंक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के नेतृत्व में 11 हजार 500 सो रुपये लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य ने बताया कि सोमवार को परिवादी एडवोकेट जितेंद्र बाकोलिया ने शिकायत दर्ज कराई कि पंजीयन कार्यालय निवाई में मैनें मेरे मुवक्किल की ओर से हनुमान नगर में एक मकान की रजिस्ट्री के लिए करीब 5-6 दिन पहले आवेदन किया था।और उसी दिन क्रेता सुरेश और विक्रेता दयाराम तथा गवाहों के हस्ताक्षर होने के बाद कम्प्यूटर में फोटो ले ली गई थी।

सोमवार को जब रजिस्ट्री लेने पहुंचा तो पंजीयन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक कमलेश मीणा ने परिवादी वकील से कहा कि मकान की रजिस्ट्री की डीएलसी रेट के अनुसार करीब तीस लाख रुपये है। और तीस लाख रुपये का आधा प्रतिशत कमीशन यानी पंद्रह हजार रुपये देने पडेगें। उसके बाद ही रजिस्ट्री पर अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। इस पर परिवादी वकील ने कहा कि यह कमीशन राशि तो ज्यादा है। इस पर वरिष्ठ लिपिक कमलेश मीणा और वकील के बीच मकान की रजिस्ट्री पर कमीशन के रूप में साढे ग्यारह हजार रुपये देना तय हो गया। परिवादी वकील की शिकायत पर एसीबी की टीम द्वारा मकान की रजिस्ट्री पर कमीशन के रूप में जा रहे साढे ग्यारह रूपये की मांग की तस्दीक की गई। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते द्वारा साढे 11 हजार रुपये के रंग लगाकर परिवादी को दिए गए। इस पर शिकायतकर्ता वकील एसीबी द्वारा दिए गए कलर युक्त नकदी लेकर पुन: पंजीयन कार्यालय पहुंचा। जहां कलर युक्त कमीशन के साढे 11 हजार रुपये पंजीयन वरिष्ठ लिपिक कमलेश मीणा को दिए। उसी दौरान एसीबी की टीम ने वरिष्ठ लिपिक कमलेश मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार वरिष्ठ लिपिक के हाथ धुलवाए जिसमें हाथों से कलर छूटा। कार्यवाही जारी है।

थ्री फेस लाइन को तारबंदी से जोड़ा, करंट लगने से आठ पशुओं की मौत

बीकानेर, (कासं.)। गांव 7 पीएचएम (ए) व (बी) में अराजीराज भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध काश्त कर दी। इससे आवारा पशुओं के सामने चरने की समस्या खड़ी हो गई। इतना ही नहीं इन बेजुबान पशुओं के प्रति इन भूमाफियाओं का दिल ही नहीं पसीजा और बिजली का करंट भी छोड़ दिया।

ग्रामीणों का आरोप हैं कि 7 पीएचएम क्षेत्र की सरकारी भूमि पर 16 मुरब्बों में 400 बीघा जमीन पर अवैध काश्त कर बुआई कर दी और भूमि पर घर से बिजली के थ्री फेस कनेक्शन की तार लाकर करंट तारबंदी में छोड़ दिया। इससे 4-5 पशुओं की मौत हो गई और ग्रामीण भी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। इस संबंध में ग्रामीणों ने खाजूवाला एसडीएम श्योराम को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज करवाई हैं। ग्रामीणों का कहना हैं कि खाजूवाला के 7 पीएचएम (ए) व (बी) के मुरब्बा नंबर 179/14, 24, 180/17, 26, 34, 33, 25 की भूमि अराजीराज दर्ज हैं लेकिन कुछ इसी चक के तो कुछ बाहरी भूमाफियाओं ने मिलकर अवैध काश्त के तहत ग्वार की फसल काश्त कर रखी हैं। इसके साथ-साथ सरकारी भूमि के चारों तरफ करंट वाली तारबंदी कर रखी हैं और अराजीराज भूमि से कटानशुदा रास्ता को भी तारबंदी से बंद कर दिया हैं।

काश्तकारों को अपने खेत आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध होने से

- अवैध काश्त की फसलों को पशुओं से बचाने के लिए भू माफियाओं की बेरहम हरकत

परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। वहीं पशुपालकों का आरोप हैं कि इस बार अच्छी बारिश होने से अराजीराज पड़ी भूमि पर अवैध काश्त व तारबंदी करने से घास चराने में भी पशुओं को परेशानी खड़ी कर दी हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप हैं कि संबंधित पटवारी को भी अवगत करवाया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं करने से अब तक 4-5 पशु करंट की चपेट में आने से मर चुके है। ग्रामीणों ने 7 पीएचएम (ए) व (बी) की अराजीराज भूमि के रकबों में की गई अवैध फसल को नष्ट करवाकर तारबंदी हटाने की मांग की हैं अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई हैं। इस दौरान दलीप कुमार, रामसिंह राजपुरोहित, शिवलाल, परमेश्वर लाल, राजेश, राजूराम, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। क्षेत्र में अराजीराज व वन विभाग की जमीन पर अवैध काश्त होने से पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर खाजूवाला उपखंड प्रशासन को पिछले कई दिनों से अवैध काश्त को लेकर शिकायतें मिल रही थी।

एयर फोर्स में 3 अक्टूबर को शामिल होगा 'एलसीएच' हेलीकॉप्टर

जोधपुर, (का.सं.)। एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर ने 3 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना में नया उपकरण जैसे हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित "लाइट कॉम्बेट हैलीकॉप्टर" (एलसीएच) को प्रतिष्ठित किया जायेगा। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान आर्मी के अफसर और सामान्य उच्च पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

1.5 करोड़ की स्मैक जब्त, एक पकड़ा

हनुमानगढ़, (निसं)। आरोपी ने करीब 5 महीने पहले पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से संपर्क किया और ड्रोन के जरिए 5 किलो स्मैक मंगवाई थी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाई गई करीब डेढ़ किलो स्मैक के साथ 1 तस्कर को हनुमानगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर से पकड़ी गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने करीब 5 महीने पहले अपने साथी के साथ मिलकर पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से संपर्क किया और ड्रोन के जरिए 5 किलो स्मैक मंगवाई। इसके बाद उन्होंने श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर तहसील के गांव 4 एफसी में स्मैक की डिलीवरी ली।

तस्कर ने बताया कि उन्होंने 5

- पांच महीने पहले पाकिस्तान से ड्रोन से मंगवाई थी, सप्लाई देने जा रहा था सूरतगढ़

किलो स्मैक में से करीब 3 किलो स्मैक पाकिस्तान से डिलीवरी देने वाले व्यक्ति के कहने पर पंजाब के 2 व्यक्तियों को सप्लाई कर दी थी। बाकी 2 किलो स्मैक उन्होंने अपने पास रख ली। कुछ दिन बाद उन्होंने करीब आधा किलो स्मैक गजानंद उर्फ गज्जु गरुड़ा निवासी 16 डीडबूयूडी रावतसर और 80 ग्राम स्मैक अजय मटोरिया निवासी रावतसर को बेच दी। बची हुई 1 किलो 420 ग्राम स्मैक सूरतगढ़ सप्लाई देने जा रहा था। इससे पहले 12 फरवरी 2021 को भी उसने पाकिस्तान से 35 किलोग्राम स्मैक भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से पाइप के जरिए डिलीवरी ली थी और पंजाब में सप्लाई की थी।

एसपी ने जंक्शन थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया और बताया कि डीजीपी के निर्देश पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान साहो चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर मक्कासर रोड पर बाइक सवार व्यक्ति को रुकवाया। इस दौरान तलाशी लेने पर उसके पास 1 किलो 420 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश (44) पुत्र हुकमाराम बावरी निवासी चक 5 आरडबूयूएम थाना रावतसर बताया।

खाटूश्यामजी में सुरक्षा व्यवस्था लेकर निरीक्षण किया

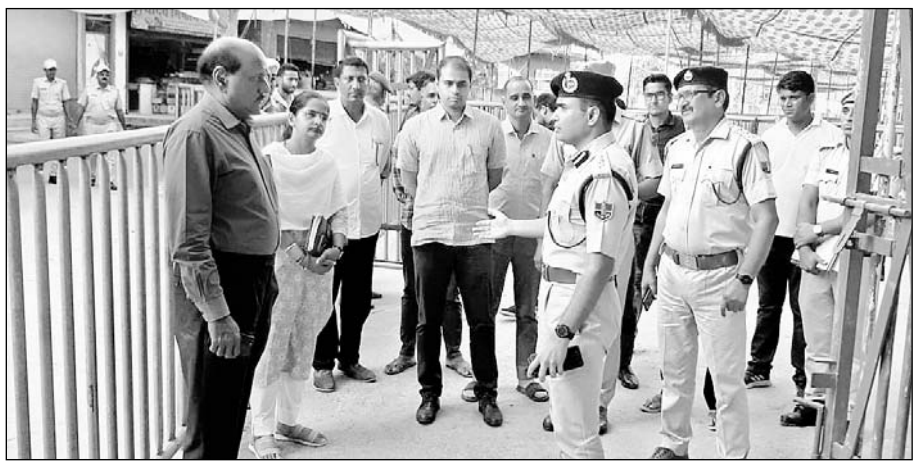

राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

खाटूश्यामजी, (निसं)। कस्बे में बाबा श्याम के दरबार मे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, रींगस डीवाईएसपी कन्हैया लाल, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी, तहसीलदार विपुल चौधरी, थानाधिकारी सुभाष यादव ने दर्शन

- राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने

व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी।

मानव अधिकार सदस्य गोयल ने दर्शन व्यवस्था के दौरान भीड़ बढ़ ने पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाने के साथ-साथ सुगमता से दर्शन के लिए दूरी और बढ़ ाने के सुझाव दिए। मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान व व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ दर्शन व्यवस्था के दौरान भीड़ बढ़ ने पर नियंत्रण को लेकर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।

आवेदन करने आए लोगों पर हमला

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर के निकटवर्ती करवड स्थित नेतडा गांव में सहकारी समिति चुनाव के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने आए कुछ लोगों पर हमला कर दिया गया। उनसे मारपीट कर दस्तावेज छीनने के साथ सोने की चेन ले गए। पीडित ने करवड थाने में नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसमें अब जांच की जा रही है।

- सहकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए
- मामला दर्ज कर जांच की जा रही है

करवड पुलिस ने बताया कि घटना में कास्टी खेडापा निवासी रामदयाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके पिता भैराराम जाट, भंवरलाल मेघवाल आदि नेतडा में सहकारी समिति चुनाव के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए आवेदन करने आए थे। तब उसके ही गांव कास्टी का रहने वाला पप्पाराम पुत्र किसनाराम जाट आदि वहां आए और पिता से मारपीट की। भंवरलाल मेघवाल को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। आरोपी ने दस्तावेज छीनने के साथ सोने की चेन ले गए। पुलिस ने घटना में अब जांच आरंभ की है।

थाने में आत्मदाह का प्रयास करने वाले राधेश्याम की दिल्ली एम्स में मौत

पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर मृतक ने लगा ली थी खुद को आग

कोटा, (निसं)। जिले के नयापुरा थाना में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर 15 सितंबर को खंड गावड़ी निवासी राधेश्याम मीणा ने खुद को आग लगा ली थी। इस मामले में पहले उसे पुलिसकर्मी आग बुझा कर एमबीएस अस्पताल ले गए थे, जहां से 15 सितंबर की देर रात को ही जयपुर रेफर कर दिया था। वहीं, 17 सितंबर देर रात को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एसएमएस अस्पताल जयपुर से दिल्ली एम्स भेज दिया था, जहां पर उपचार के दौरान मंगलवार को राधेश्याम की मौत हो गई।

कोटा के नयापुरा थाने के सीआई रामकिशन का कहना है कि हमें भी इस तरह की सूचना मिली है। राधेश्याम के मामा के लड़के जोधराज का कहना है कि दिल्ली एम्स में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई और अब पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा है। इस दौरान उनकी पत्नी अंतिमा भी दिल्ली में ही मौजूद है। राधेश्याम के दोनों बच्चे अलीशा और शिवम कोटा ही हैं। राधेश्याम के आत्मदाह मामले में पुलिस ने घटना के बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी थी और 16 सितंबर को क्रॉस केस दर्ज कर लिए गए थे। जिसमें एक मुकदमा राधेश्याम की तरफ से पार्षद हरिओम सुमन, उसके दोस्त अमित खिल्लीवाल और हितेश शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया था। यह मुकदमा एससी एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में दर्ज था। जबकि राधेश्याम मीणा के खिलाफ हरिओम सुमन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पार्षद हरिओम सुमन सहित तीनों आरोपियों को 17 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। जहां से उसे 30 सितम्बर तक जेल भेज दिया था।

हालांकि, इसके बाद पार्षद हरिओम सुमन और अन्य पार्षदों की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई हुई थी। जिस पर न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। राधेश्याम के आत्मदाह मामले में सामने आया था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के चलते उसका विवाद शुरू हुआ था। राधेश्याम ने कुछ दिन पहले क्षेत्रीय पार्षद हरिओम सुमन के लिए काम नहीं करवाने और बिजली के पोल और अन्य समस्याओं को लेकर पोस्ट डाल दी थी। इसके साथ ही स्कूल में बेटी अलीशा ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम पास किया था। इसके लिए उसे आठवीं बोर्ड की मार्कशीट के साथ आवेदन करना था, लेकिन मार्कशीट स्कूल से नहीं मिली थी।

जब स्कूल में उसने मांगा, तो स्कूल ने मार्कशीट बोर्ड से आने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा था कि रोल नंबर के जरिए ईमित्र से निकलवा लें, रोल नंबर मांगने के दौरान टीचर ने उसे सभी गावड़ी के बच्चों को एक जैसा होने की बात कह दी थी। इस बात से नाराज होकर राधेश्याम ने 2 सितंबर को स्कूल से बच्ची को निकलवाने की धमकी स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप में दे दी थी। इसको लेकर वह लगातार स्कूल के टीचर्स को भी फोन कर रहा था। राधेश्याम ने क्षेत्रीय पार्षद हरिओम सुमन और उसके दो अन्य साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। जिसमें पुलिस को शिकायत दी थी कि वह घर पर मौजूद था।

इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद हरिओम सुमन सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर उसके घर पर मारपीट करने पहुंचा है। राधेश्याम का आरोप था कि इस मामले में वह लगातार थाने में जा रहा था। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। वहीं हरिओम सुमन ने भी इसी संबंध में शिकायत दी थी। लगातार थाने के चक्कर काट कर हरिओम सुमन परेशान हो गया था। इसी के चलते उसने पेट्रोल डालकर थाने में ही आग लगा ली। राधेश्याम ने 15 सितंबर शाम करीब 7.45 बजे थाने पर पहुंचा। थाने के बाहर गाड़ी खड़ी की। बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर उड़ेल लिया और थाने के अंदर परिसर में जाकर खुद को आग लगा ली। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था।